झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—435/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **तपकरा जलाशय योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू० 1974.00 लाख (रू० उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड अन्तर्गत तपकरा ग्राम के पास बांकी नदी पर निर्मित **तपकरा जलाशय योजना के** पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू० 1974.00 लाख (रू० उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. योजना का रूपांकित कुल खरीफ सिंचाई क्षमता 1010 हे० एवं रब्बी सिंचाई क्षमता 850 हे० है। इस योजना से गुमला जिले के किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

4. योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने के लिये योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के अन्तर्गत मुख्य नहर का तल सफाई, तटबंध सुदृढ़िकरण, कंक्रीट लाईनिंग कार्य तथा खेलगा शाखा नहर, मुख्य नहर से निःसृत एक वितरणी, खेलगा शाखा नहर से निःसृत किन्दर केला वितरणी का मिट्टी कार्य, संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं कंक्रीट लाईनिंग कार्य का प्रवधान है। उक्त सभी मरम्मति कार्यों मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणी एवं जलवाहों के पुनरूद्धार कार्य एवं 3 नये सी०डी० संरचना के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

5. प्रस्तावित पुनरूद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् 765 **हेक्टयर** में खरीफ सिंचाई एवं 800 हे० रब्बी सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल सं०1, सिमडेगा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। यॉत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची होंगे। यांत्रिक कार्यों के सही होने की सहमति कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक से प्राप्त की जायेगी।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2018–19 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। वर्ष 2015–16 में निविदा आमंत्रण किया जा सकता है।

8. योजना का लाभ–लागत अनुपात 4.27 : 1 आकलित है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) माँग संख्या– '49'– जल संसाधन, मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

(ii) माँग संख्या– '49'– जल संसाधन, मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 43 में रू० 9000.00 लाख

b. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 43 में रू० 7000.00 लाख

11. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा से की जायेगी।

15. प्रस्तावित कार्य के लिए उपशीर्ष–54–सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति एवं माननीय मुख्य (योजना –सह– वित्त) मंत्री, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

18. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—435/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—435/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—435/2016— 79/15-16 प्र.अ. /राँची, दिनांक 31.03.2016

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गुमला/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल सं०1, सिमडेगा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/16
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
31/03/16